दिनांक–25.11.2013 को माननीया मंत्री महोदया (जल संसाधन) विभाग झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में सम्पन्न मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्र की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

बैठक की उपस्थिति विवरणी (परिशिष्ट–1) संलग्न है।

सर्वप्रथम सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा माननीया मंत्री महोदया, माननीय विधायक श्री संजय कुमार सिंह यादव एवं बैठक में आये सदस्यों का स्वागत किया गया।

तदोपरान्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर को परिक्षेत्राधीन महत्वपूर्ण योजनाओं की रूप – रेखा पर जानकारी देने एवं इनकी प्रगति मे आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराने का निर्देश दिया गया।

योजनावार समीक्षा निम्नवत है :–

I अमानत बराज योजना :–

योजना की प्रशासनिक स्वीकृति ₹ 341.11 करोड़ की है। 31.03.2013 तक योजना पर कुल रूपये 243.556 करोड़ का व्यय हो चुका है।

(क) <u>शीर्ष कार्य (बराज)</u>

अद्यतन स्थिति :–

मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि, बराज एवं गेटों का कार्य पूर्ण है। बराज control room में wiring का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं विद्युत Connection हेतु राशि जमा की जा चुकी है।

जन अवरोध के कारण 200 मी० में गाईड बाँध का कार्य नहीं कराया जा सका है। Public demand के मद्देनजर नये सिरे से भू–अर्जन के सीमांकण हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करा दिया गया है।

मुख्य अभियंता द्वारा आश्वस्त किया गया कि, दिसम्बर 2013 तक जन अवरोध की समस्या का समाधान कराकर मार्च 2014 तक गाईड बाँध का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

निर्देश :–

दिसम्बर 2013 तक उक्त समस्या का निदान कर गाईड बाँध का कार्य मार्च 2014 तक निश्चित रूप से पूर्ण करा लिया जाय।

(कार्रवाई :– मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ अधीनस्थ क्षेत्रीय पदाधिकारी।)

(ख) <u>मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली :–</u>

अद्यतन स्थिति :–

मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि, मुख्य नहर का कार्य में 40% एवं वितरण प्रणाली का 20% कार्य Patches में, जहाँ वन भूमि की समस्या नहीं है, पूर्ण कराया जा चुका है।

कार्य की प्रगति में मुख्य बाधा भू–अर्जन एवं वन भूमि की समस्या है। मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली हेतु कुल 104.55 हे० भू–अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

जबकि 127.85 हे० वन भूमि के अपयोजन हेतु, उपायुक्त पलामू द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि का प्रस्ताव स्वीकृति के क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी पलामू के स्तर पर लम्बित है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में मुख्य नहर के 0–43.0 आर० डी० तक जहाँ वन भूमि involved नहीं है, कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य है। इसके लिये छः अदद नई संरचनाओं के निर्माण हेतु कार्यावंटन प्रक्रिया में है। जबकि 19.0 से 33.0 आर० डी० के बीच मिट्टी कार्य हेतु भू–अर्जन की कार्रवाई अंतिम चरण में अपर समाहर्ता पलामू के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

निर्देश :–

(i) उपायुक्त एवं अपर समाहर्ता पलामू से सर्म्पक कर विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी दिसम्बर 2013 तक उक्त भू–अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

तदोपरान्त मुख्य अभियंता मेदिनीनगर एवं संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि वार्षिक कार्यक्रम 2013–14 में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 43.0 आर० डी० तक मुख्य नहर का कार्य मार्च 2014 तक निश्चित रूप से करा लिया जाय, ताकि 43.0 आर० डी० तक पानी पहुँचाकर सिंचाई सुविधा प्रारंभ की जा सके।

(ii) 127.85 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु मुख्य अभियंता मेदिनीनगर एवं संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी, द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर से लगातार सर्म्पक कर यथाशीघ्र Joint Verification कराकर वन भूमि अपयोजन के कार्य को expedite कराया जाय।

यदि विभाग से इस संदर्भ में कोई कार्रवाई अपेक्षित हो, तो मुख्य अभियंता इसके लिये विधिवत प्रस्ताव समर्पित करेंगे।

(कार्रवाई :– मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ अधीनस्थ क्षेत्रीय पदाधिकारी/विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी मेदिनीनगर।)

II बटाने जलाशय योजना :–

बिहार सरकार द्वारा ₹ 113.00 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत यह योजना बिहार एवं झारखण्ड राज्य की संयुक्त परियोजना है। इस योजना पर मार्च 2013 तक बिहार एवं झारखण्ड राज्यों द्वारा समेकित रूप से ₹ 106.83 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

(क) <u>शीर्ष कार्य</u>

(i) डैम :–

अद्यतन स्थिति :–

डैम गेट एवं स्पीलवे का कार्य पूर्ण है। पुनर्वास की समस्या को लेकर ग्रामीणों के विरोध के कारण गेटों का संचालन नहीं हो पा रहा है, फलस्वरूप डैम में जल का संग्रहण नहीं हो रहा है। वर्ष 2012–13 तक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल ₹ 11.66 करोड़ में से ₹ 11.22 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, एवं शेष भुगतान प्रक्रिया में है।

पुर्नवास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल 1047 विस्थापित परिवारों में से 430 परिवारों को सभी देय सुविधायें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। पुनरीक्षित पुनर्वास निति 2012 के तहत शेष 617 परिवारों को सुविधायें उपलब्ध कराई जानी है। मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि इसके लिये ₹ 27.00 करोड़ की आवश्यकता है, जिसके लिए योजना की प्रशासनिक स्वीकृति का पुनरीक्षण आवश्यक है।

दिनांक–07.11.2013 की बिहार के साथ सम्पन्न अन्तर्राज्यीय बैठक में बिहार सरकार द्वारा बताया गया कि, प्रशासनिक स्वीकृति पुनरीक्षण की कार्रवाई प्रक्रिया में है। प्रशासनिक स्वीकृति के पुनरीक्षण के बाद पुनर्वास मद में राशि व्यय करने के कार्यक्रम पर बिहार द्वारा सहमति दी जायेगी।

(ii) बराज :–

अद्यतन स्थिति :–

बराज का 95% कार्य पूर्ण है। control room एवं operation system installation का कार्य शेष है। इस वित्तीय वर्ष में इसे पूरा करा लिये जाने का लक्ष्य है।

निर्देश :–

(i) बिहार सरकार के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पुनर्वास मद में झारखण्ड राज्य के हिस्से की राशि व्यय करने पर सहमति प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ प्रस्ताव मुख्य अभियंता, मेदीनीनगर विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(ii) Control room एवं operation system installation का कार्य मार्च 2014 तक पूर्ण करा लिया जाय।

(कार्रवाई :– मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ अधीनस्थ क्षेत्रीय पदाधिकारी।)

(ख) मुख्य नहर :–

(i) **बायीं मुख्य नहर :–** इसका कार्य पूर्ण है, एवं इससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

बैठक में उपस्थित श्री संजय कुमार सिंह यादव, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा बायीं मुख्य नहर के जीर्णोद्धार एवं नई वितरण प्रणाली निर्माण की आवश्यकता बताई गई।

मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर द्वारा बताया गया कि, झारखण्ड भाग के अवयवों के शेष कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु तैयार किये जा रहे प्रस्ताव में इसका प्रावधान किया जा रहा है।

(ii) दायीं मुख्य नहर :–

दायीं मुख्य नहर का कार्य 90% पूर्ण बताया गया। एक अदद संरचना निर्माण का कार्य शेष है। यह कार्य एकरारनामा के प्रक्रिया में है।

नहर के 0 से 204 चेन तक आंशिक मिट्टी कार्य भू–अर्जन के कारण बाधित बताया गया।

विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भू–अर्जन की प्रक्रिया अंतिम चरण में अपर–समाहर्ता पलामू के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

निर्देश :–

(i) विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी मेदिनीनगर को उपायुक्त पलामू से सम्पर्क कर भू–अर्जन का कार्य expedite कराने का निर्देश दिया गया।

(ii) स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम 2013–14 में निधारित लक्ष्य के अनुरूप बटाने बराज एवं दायीं मुख्य नहर का कार्य 31.03.14 तक कराने का निर्देश मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिया गया।

(iii) आवश्यकतानुसार नई वितरण प्रणाली का निर्माण एवं जोर्णोद्धार के कार्यों का प्रावधान झारखण्ड सरकार से प्राप्त किये जाने वाली प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव में किया जाय। डी०पी०आर० तैयार कराने हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध किये गये परामर्शी की सेवा मुख्य अभियंता द्वारा ली जाय।

(कार्रवाई :– मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ अधीनस्थ क्षेत्रीय पदाधिकारी/विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी मेदिनीनगर।)

III उत्तर कोयल परियोजना :–

मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा ₹ 814.73 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत यह बिहार एवं झारखण्ड की संयुक्त परियोजना है। वर्ष 2012–13 तक दोनो राज्यों द्वारा समेकित रूप से ₹ 785.77 क़रोड़ का कुल व्यय किया जा चुका है।

(क) **शीर्ष कार्य**

(i) **मंडल डैम** :– डैम का सिविल कार्य पूर्ण है। गेटों का अधिष्ठापन, डैम के डूब क्षेत्र में पड़ने वाली वन भूमि के अपयोजन का, भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से clearance प्राप्ति के अभाव में नहीं कराया जा सका है।

वन भूमि अपयोजन एवं उक्त clearance प्राप्त करने हेतु वन सेवा के सेवा निवृत पदाधिकारी को परामर्शी के रूप में engage करने के लिए दिनांक–05.12.13 को Walk-in-interview आयोजित है।

(ii) **मोहम्मदगंज बराज** :– बराज के 17 अदद् डेक स्लैब निर्माण कार्य के छोड़कर बराज का कार्य पूर्ण है। उक्त 17 अदद डेक स्लैब के शेष कार्य हेतु दिनांक–25.11.13 को पुनः निविदा के दौरान कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है।

(ख)(i) **दायीं मुख्य नहर** :– इसका कार्य पूर्ण है एवं इससे सिंचाई हो रही है। मुख्य अभियंता द्वारा नहर में P.C.C lining कार्य का पुनर्स्थापन नये सिरे से कराये जाने की आवश्यकता बताई गयी।

माननीय विधायक द्वारा दायीं मुख्य नहर के 14.20 आर०डी० पर पुल निर्माण, देवरीकला माईनर के सम्पोषण, दायीं मुख्य नहर के आर०डी० 60.90 के नीचे संरचना के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मति एवं 95.00 आर० डी० पर आऊटलेट के निर्माण की आवश्यकता बताई गई।

समीक्षा में पाया गया कि, झारखण्ड भाग में पड़ने वाली दायीं मुख्य नहर के सी०आर० आदि गेटों का नियंत्रण पूर्व की भाँति अभी तक बिहार के ही अधीन है। झारखण्ड भाग में नहर के सुचारू संचालन एवं सम्पोषण में इसे मुख्य बाधा माना गया।

(ii) दायीं मुख्य नहर से निसृत वितरण प्रणाली :–

मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि 9 अदद वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण है।
मुख्य अभियंता द्वारा यह भी बताया गया कि वितरण प्रणाली के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में निम्न कार्य प्रस्तावित है :–

(1) दायीं मुख्य नहर से निसृत अधौरा माईनर के मरम्मति एवं सम्पोषण तथा गार्ड वाल का निर्माण। इस कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

(2) परता माईनर में चेन 41.0 पर संरचना निर्माण। इस कार्य का भी प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

(3) यह भी बताया गया कि, वितरण प्रणाली में वर्ष 2008 में बगैर सक्षम स्तर की स्वीकृति के, आंशिक रूप से लाईनिंग कार्य कराया गया था, जो अब जर्जर स्थिति में है। पुराने कराये गये कार्यों की घटनोत्तर स्वीकृति एवं नये सिरे से लाईनिंग कार्य कराये जाने की आवश्यकता बताई गई।

(4) माननीय विधायक द्वारा हुसैनाबाद एवं मोहम्मदगंज में उत्तर कोयल परियोजना हेतु दो अदद प्रमंडल गठन की आवश्यकता बताई गई।

मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि, उनके परिक्षेत्राधीन प्रमण्डलों के पुनर्गठन का प्रस्ताव विभाग को समर्पित है, जिसपर विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है।

(iii) बायीं मुख्य नहर :–

मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि बायीं मुख्य नहर जो पूर्णतः झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत है, का 80% कार्य पूर्ण है। झारखण्ड सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्रस्ताव एक सप्ताह के अंदर विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

निर्देश :–

(i) उत्तर कोयल एवं बटाने जलाशय योजनाओं के झारखण्ड भाग में पड़ने वाले अवयवों का कार्य कराने हेतु झारखण्ड सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव अविलम्ब विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(ii) मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर को निर्देश दिया गया कि माननीय विधायक के साथ नहर प्रणाली का संयुक्त निरीक्षण कर उनसे प्राप्त सुझाव के आलोक में विभाग द्वारा सूची बद्ध किये गये परामर्शी से आवश्यकतानुसार CAD/ERM के तहत DPR तैयार कराकर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(iii) दिनांक–07.11.12 को पटना में बिहार राज्य के साथ संपन्न अंतर्राज्यीय बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उत्तर कोयल एवं बटाने परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(iv) उत्तर कोयल दांयी मुख्य नहर के Unauthorized outlet की सूची एक सप्ताह में विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(v) दायीं मुख्य नहर में लाईनिंग करने हेतु बिहार के पदाधिकारीयों से सहमति प्राप्त कर प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(vi) मुख्य अभियंता, मोहम्मदगंज बराज एवं दायीं मुख्य नहर के सी० आर० आदि गेटों का नियंत्रण अविलम्ब अपने अधीन लेकर विभाग को अवगत करायें।

(vii) मोहम्मदगंज बराज के अवशेष डेक स्लैब निर्माण की पुनः निविदा प्रकाशित कराई जाय।

(viii) दायीं मुख्य नहर के वितरण प्रणाली में पूर्व में की कई lining कार्य की जाँच उड़न दस्ता से कराकर नये सिरे से लाईनिंग का कार्य कराने हेतु डी०पी०आर० एवं प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्रवाई :– मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ अधीनस्थ क्षेत्रीय पदाधिकारी।)

अन्य योजनाये :–

(i) **डोमनी बराज योजना** :– मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि turn key के आधार पर योजना का कार्य कराने हेतु निविदा प्राप्त हुई है, जो निस्तार हेतु विभाग को भेजी जा रही है।

(ii) **दानरो वीयर/चेक डैम निर्माण कार्य:**– मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि यह कार्य प्रगति पर है एवं इसके लिए विभाग से आवंटन भी प्राप्त हुआ है।

(iii) **धनकुट्टी नाला एवं केहुनिया नाला सर्वधन योजना :**– मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि, धनकुट्टी नाला के लिंक चैनल का कार्य भू–अर्जन के कारण बाधित है।

दिसम्बर 2013 तक भू–अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण करा लिये जाने का आश्वासन विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी मेदिनीनगर द्वारा दिया गया।

केहुनिया नाला के चार अदद अतिरिक्त संरचनाओं का प्राक्कलन स्वीकृति की प्रक्रिया में बताया गया।

निर्देश :–

(i) निर्देश दिया गया कि डोमनी बराज योजना हेतु प्राप्त निविदा का शीघ्र निस्पादन कर कार्य प्रारंभ कराया जाये।

(ii) निर्देश दिया गया कि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप दानरो वीयर/चेक डैम निर्माण एवं धनकुट्टी तथा केहुनिया नाला सर्वधन योजनाओं का कार्य 31 मार्च 2014 तक पूरा कराया जाय।

(कार्रवाई :– मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ अधीनस्थ क्षेत्रीय पदाधिकारी/विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, मेदिनीनगर।)

अन्यान्य :–

(i) **औरंगा निर्माण प्रमण्डल, पाकी के अधीन पुराने एकरारनामों को बन्द करने के संबंध में** निर्देश दिया गया कि मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से असम्बद्ध अभियंताओं की समिति गठित कर जाँच करा लिया जाय। तदोपरांत कथित एकरारनामों को बंद करने की कार्रवाई कार्यपालक अभियंता, औरंगा निर्माण प्रमण्डल, पाँकी द्वारा की जाय।

(ii) **मलय जलाशय योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य :–**
मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि मलय जलाशय योजना के 0–180 चेन तक लाईनिग कार्य हेतु निविदा निस्पादन प्रक्रिया में है।

180 चेन से 534 चेन तक लाईनिंग कार्य हेतु Soil testing कराकर C.D.O से प्रस्ताव की भैटिंग करा ली जायेगी। Soil testing हेतु विभाग द्वारा निधि आवंटित की जा चुकी है।

(iii) **E.R.M कार्य :–**
मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रक्षेत्र की पाँच योजनाओं यथा अन्नराज, सदाबह, दानरो, मलय एवं बायीं बाकी योजनाओं को ERM के तहत take up करने का प्रस्ताव है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

कार्रवाई पर माननीया मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।

(अविनाश कुमार)
सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

D:\Node-4\Mi Sir\A.A.K\Min. of Meeting (Minister) 25-11-2013.doc

पत्रांक :–1/पी०एम०सी०/विविध/205/06 1696 /राँची, दिनांक :–13/12/13

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/मुख्य अभियंता (यांत्रिक), राँची/उपायुक्त, मेदिनीनगर/गढ़वा/विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, मेदिनीनगर/पुनर्वास पदाधिकारी मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.XII.2013

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक :–1/पी०एम०सी०/विविध/205/06 1696 /राँची, दिनांक :–13/12/13

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–1/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अचंल–1/संयुक्त सचिव (अभि०)/संयुक्त सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
वेब सूचना प्रबंधक,

13.XII.2013

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक :–1/पी०एम०सी०/विविध/205/06 1696 /राँची, दिनांक :–13/12/13

प्रतिलिपि :– वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.XII.2013

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक :–1/पी०एम०सी०/विविध/205/06 1696 /राँची, दिनांक :–13/12/13

प्रतिलिपि :– मंत्री, जल संसाधन के आप्त सचिव/[illegible] सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

13.XII.2013

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

D:\Node-4\Mi Sir\A.A.K\Min. of Meeting (Minister) 25-11-2013.doc

दिनांक–25.11.2013 को माननीया मंत्री महोदया (जल संसाधन) की अध्यक्षता में सम्पन्न मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्र की बैठक की उपस्थिति विवरणी :–

1	श्रीमति अन्नपूर्णा देवी	–	माननीया मंत्री महोदया, जल संसाधन विभाग, राँची।
2	श्री संजय कुमार सिंह यादव	–	माननीया सदस्य झारखण्ड, विधान सभा।
3	श्री अविनाश कुमार	–	सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची।
4	ई० अरूण कुमार सिंह	–	अभियं ता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, राँची।
5	ई० अशोक कुमार	–	मुख्य अभियंता (मो०), जल संसाधन विभाग, राँची।
6	ई० सुरेन्द्र कुमार	–	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर।
7	ई० प्रभुनाथ सिंह	–	अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, राँची।
8	ई० एस० रमण	–	अधीक्षण अभियंता, औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर।
9	ई० श्री नारायण साहु	–	अधीक्षण अभियंता, कदवन बाँध अंचल, मेदिनीनगर।
10	ई० एल० मिंज	–	कार्यपालक अभियंता, कदवन बाँध प्रं०, नगर उँटारी।
11	ई० रघुनन्दन सिंह यादव	–	कार्यपालक अभियंता, औरंगा निर्माण प्रं०, पाँकी।
12	ई० योगेन्द्र कुमार पण्डित	–	कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रं०, मेदिनीनगर।
13	ई० छटटू तिग्गा	–	कार्यपालक अभियंता, अनुसंधान प्रं०, गढ़वा।
14	ई० श्याम किशोर	–	पुर्नवास पदाधिकारी, मेदिनीनगर।
15	श्री ए० के सिन्हा	–	विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, मेदिनीनगर।
16	श्री ए० ए० रहमती	–	कार्यपालक अभियंता, मो० प्रं०–4, राँची।
17	श्री बी० के० दसौन्धी	–	कार्यपालक अभियंता, मो० प्रं०–3, राँची।